राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.1566 सीसी/स्वा.का.पु./2018/826 दिनांक : 6/4/18

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 दिनांक 25.1.92 एवं क्रमांकःएफ.20(1)वित्त/ग्रुप–2/92 पार्ट–I दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में निम्नलिखित रिट में पारित निर्णय के द्वारा याचिकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये है :–

क्र. सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दिनांक	अवमानना सं.
1.	श्री सोहन लाल	3527/17	03.05.17	58/18

अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के द्वारा इन्हे 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को विभिन्न आदेशो के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकर्ता की नियमित नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200–2050 एवं 1640–2900/5500–9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है याचिकाकर्ता को दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में यदि कार्मिक को उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानो के अनुसार सही की गई है तथा वेतन स्थिरीकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है तथा संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान एरियर का पूर्व में भुगतान नही किया गया है एवं नियम विरूद्व अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, की शर्त पर दी जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधिन होगी ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

PTO ...

C:\Sandeep Tailor\rajsingh\Order from 28-11-17.doc

क्रमांक:एफ.1566 सीसी/स्वा.का.पु./2018/826 दिनांक : 6/4/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन बीकानेर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बीकानेर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू–ड्रान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एव अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

C:\Sandeep Tailor\rajsingh\Order from 28-11-17.doc

58